पत्र सूचना शाखा

**(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)**

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

## कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरी सावधानी बरतना आवश्यक : मुख्यमंत्री

## केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के प्रबन्धों के क्रियान्वयन में जन सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका

## धर्माचार्यों एवं धर्मगुरुओं से कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए समाज में जागरूकता फैलाने की अपील

## सभी धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मांगलिक गतिविधियों/कार्यक्रमों को 02 अप्रैल, 2020 तक स्थगित कर दें

## हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, राज्य की सीमा पर सघन चेकिंग सुनिश्चित की जाए

## स्कूलों तथा कॉलेजेज के प्रिंसिपल तथा प्रबन्धक यह सुनिश्चित करें कि 02 अप्रैल तक प्रिंसिपल, शिक्षकगण एवं नॉन–टीचिंग स्टाफ भी विद्यालय नहीं आएंगे

## मॉल्स को बन्द करने के निर्देश

## लखनऊ, नोएडा एवं कानपुर शहर को सेनीटाइज करने के निर्देश

## प्रदेश में खाद्यान्न सहित रोजमर्रा के इस्तेमाल की सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता

## सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी अथवा कालाबाजारी न होने पाए

## पुलिस को पूरे प्रदेश में व्यापक पेट्रोलिंग करने के निर्देश, लोग कहीं इकट्ठा न हों

## तहसील दिवस, समाधान दिवस, मुख्यमंत्री आरोग्य मेला तथा जनता दर्शन 02 अप्रैल, 2020 तक स्थगित

## 31 मार्च, 2020 तक सरकारी अस्पतालों में गैर–जरुरी ओ0पी0डी0 व जांच स्थगित, केवल आकस्मिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी

**लखनऊ : 20 मार्च, 2020**

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरी सावधानी बरतना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रबन्धों के क्रियान्वयन

में जन सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने सभी धर्माचार्यों एवं धर्मगुरुओं से कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए समाज में जागरूकता फैलाने की अपील की है। इस दिशा में विभिन्न धर्म गुरुओं की पहल का उन्होंने स्वागत किया है।

मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश स्थित हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों सहित राज्य की सीमा पर सघन चेकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मॉल्स को बन्द करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मांगलिक गतिविधियों/कार्यक्रमों को 02 अप्रैल, 2020 तक स्थगित कर दिया जाए। वैवाहिक कार्यक्रमों में आमंत्रितों की संख्या को 10 तक सीमित रखने का प्रयास हो।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लखनऊ, नोएडा एवं कानपुर शहर को सेनीटाइज किया जाए। नगर विकास विभाग द्वारा शहरी इलाकों में नियमित फॉगिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। स्कूलों तथा कॉलेजों को पूरी तरह बन्द रखा जाए। स्कूलों तथा कॉलेजेज के प्रिंसिपल तथा प्रबन्धक यह सुनिश्चित करें कि 02 अप्रैल, 2020 तक प्रिंसिपल, शिक्षकगण एवं नॉन–टीचिंग स्टाफ भी विद्यालय नहीं आएंगे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में खाद्यान्न सहित रोजमर्रा के इस्तेमाल की सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता है। सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी अथवा कालाबाजारी न होने पाए। ऐसा करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि खरीददारी के दौरान लाइनें न लगे। कोरोना से बचाव के लिए ग्लव्स तथा मास्क का इस्तेमाल किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निजी क्षेत्र के संस्थानों एवं नियोक्ताओं को इस हेतु प्रेरित किया जाए कि जहां तक सम्भव हो कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति दी जाए। इस व्यवस्था को सरकारी विभागों एवं संस्थानों में भी आवश्यकतानुसार लागू कराया जाए। तहसील दिवस, समाधान दिवस, मुख्यमंत्री आरोग्य मेला तथा जनता दर्शन का आयोजन 02 अप्रैल, 2020 तक स्थगित रहेगा। उन्होंने पुलिस को पूरे प्रदेश में व्यापक पेट्रोलिंग करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी स्थल पर लोग इकट्‌ठा न हो।

मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिये है कि सरकारी अस्पतालों में केवल आकस्मिक सेवाएं प्रदान की जाए। 31 मार्च, 2020 तक गैर–जरुरी ओ0पी0डी0 व जांच को स्थगित रखा जाए, जिससे अस्पतालों में अनावश्यक भीड़ न हो।

———————

***PN-CM-Corona Control Directives-20 March, 2020***